Continuation Note Sheet

A2/5

17 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित।
बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।
प्रकरण State द्वारा जरिए तहसीलदार, श्री सुरजा
राम, निवासी 5E छोटी, श्री जितेन्द्र कुमार, निवासी
रतनपुरा, श्री पृथ्वीराज निवासी 5E छोटी के विरुद्ध
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के
तहत लाया गया है, जिसे 39/12 क्रमांक पर
पंजीकृत किया गया। प्रकरण में 5E छोटी के
मुरब्बा नंबर 8 के किला न. 3 में .228, किला न.
18 में .253, किला 19 में .253, किला 22 में
.253, किला 23 में .236 कुल 1.223 हेक्टेयर
नहरी खातेदारी भूमि में अवैध निर्माण कर गैर
कृषि कार्य के उपयोग में लिये जाने के कारण
तथा बिना किस्म परिवर्तन कराये अकृषि कार्य
होने को लेकर वाद दर्ज कराया गया था। प्रकरण
में नोटिस जारी हुए जो तामील होकर प्राप्त हुए।
प्रतिवादियों की तरफ से जवाब पेश हुए। मौके की
ताजा रिपोर्ट मंगवाई गई तथा अवलोकन किया गया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने पर यह पाया गया कि
उक्त विवादित भूमि चक 5E छोटी के मुरब्बा न.
8 के किला न. 18, 19, 22, 23/2, 24 में कुल
1.248 हेक्टेयर भूमि नगर विकास न्यास, श्रीगंगा
नगर से 16.12.10 को भूराजस्व अधिनियम 1956
की धारा 90-B के तहत राजकीय गैर मुमकिन
(आवासीय तथा व्यावसायिक) घोषित हो चुकी है।
शेष बची भूमि किला 3 में मौका रिपोर्ट अनुसार
40x45 फुट का रिहायशी मकान व पाई व पशु शेड
बना हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

— PTO

स्टेट V/s.
प्रकरण सं0 39/12 अनवान सुरजाराम

Continuation Note Sheet

तहत कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि के 1/50 भाग का उपयोग आवासीय उपयोग केलिये कर सकता है। खातेदारी का शेष रकबा 3-8-9-12-13 नहरीमय खाला 1.265 हैक्टेयर है जिसमें सिर्फ किला 3 का आंशिक उपयोग आवासीय हो रहा है। अत: इस प्रकरण में यह पाया जाता है कि विवादित भूमि 1.223 हैक्टेयर का गैर कृषि उपयोग राजकीय आदेशों तथा RTA के प्रावधानों के अनुरूप ही हो रहा है। अत: प्रकरण को खारिज किया जा कर निर्णीत कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली तकमील हो कर दाखिल दफ्तर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

19